पत्र संख्या–11/आ०नी०–I–03/2019 सा.प्र..12123

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

रजनीश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।

पटना–15, दिनांक–23.06.2023

विषय :– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण प्रदान करने हेतु दिशा–निदेश।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए) आरक्षण अधिनियम–2/2019 के अधीन अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण नियमावली के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधान किये गए हैं तथा इसके नियम–2(ञ) में परिवार की परिभाषा भी स्पष्ट की गयी है। इसके बावजूद विभिन्न स्त्रोतों से इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट करने हेतु पृच्छाएँ एवं जिज्ञासाएँ व्यक्त की जा रही हैं।

अतएव सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–2622 दिनांक–26.02.2019 द्वारा निर्गत संदर्भित नियमावली के नियम–9 में निहित प्रावधान के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में सुविधा के उद्देश्य से निम्नांकित दिशा–निदेश परिचारित किये जा रहे हैं :–

(i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ बिहार अधिनियम–15/2003 के आलोक में राज्य के मूल निवासियों (पुरूष/महिला) को ही देय होगा।

(ii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के उद्देश्य से "परिवार" में सम्मिलित है अभ्यर्थी के माता–पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन तथा पति–पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संताने।

(iii) विवाहित पुरूष के पक्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के निमित्त आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उसके स्वयं के परिवार की आय एवं परिसंपत्ति के आधार पर निर्गत होगा, जिसमें पुरूष अभ्यर्थी एव पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु की संताने सम्मिलित होंगी। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के मूल निवास स्थान (अंचल) से निर्गत होगा, जिसका निर्धारण अभ्यर्थी के पिता के मूल निवास के आधार पर किया जाएगा।

(iv) विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परन्तु इस विवाहित महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाय कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी हैं।

(v) अविवाहित महिला एवं अविवाहित पुरूष के मामले में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उनके पिता के मूल निवास (अंचल) से निर्गत होगा। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र भी पिता के मूल निवास (अंचल) से निर्गत होगा।

(vi) राज्याधीन सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए वैसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, जो राज्य सरकार के अंतर्गत वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछडा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए प्रावधानित आरक्षण से आच्छादित नहीं हों।

(vii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु अभ्यर्थी के परिवार की सभी स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम होनी चाहिए। वार्षिक आय में आवेदन करने के पूववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि समस्त स्त्रोतों से होने वाली आयों को इसके प्रयोजनार्थ परिगणित किया जाएगा।

(viii) आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

उपर्युक्त के आलोक में सभी जिला पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध है कि एतद् संबंधी मार्गदर्शन से अपने अधीनस्थ अंचलाधिकारी / राजस्व अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकार को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

23/06/2023.

(रजनीश कुमार)
सरकार के उप सचिव।

FILE PATH:C/DIWA/LETTER

ज्ञापांक–11/आ० नी०–I–03/2019 सा.प्र. 12123 **पटना–15, दिनांक–** 23.06.2023

प्रतिलिपि–उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, पटना/सभी विश्वविद्यालय/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/सदस्य, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, बिहार, पटना/ सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, बिहार, पटना/सचिव, उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/06/2023.

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–11/आ० नी०–I–03/2019 सा.प्र. 12123 **पटना–15, दिनांक–** 23.06.2023

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

23/06/2023.

सरकार के उप सचिव।

FILE PATH:C/DIWA/LETTER

6. बिहार अधिनियम, 15, 2003 (मूल)

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिये) (संशोधन) अधिनियम, 2003

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम, 1991 (बिहार अधिनियम 3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो —

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ–

(1) यह नियम बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचि जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) इस अधिनियम की धारा–2 दिनांक 1 अप्रील, 2000 तथा धारा 3 एवं 4, दिनांक 11 जून 1996 के प्रभाव में प्रवृत्त होंगी ।

2. बिहार अधिनियम–3, 1992 की धारा–3 का संशोधन :–बिहार अधिनियम–3, 1992 की धारा–3 के खंड (क) के बाद निम्नलिखित नया खंड "च" जोड़ा जायेगा, तथा–

(च) "आतंकवादी/जातीय अनबन या सांप्रदायिक दंगा/निर्वाचन संबंधी हिंसा/अन्य हिंसक घटनाओं में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियाँ ।"

3. बिहार अधिनियम–3, 1992 के धारा–4 का संशोधन — निम्नलिखित तीसरा परन्तुक उक्त अधिनियम की धारा–4 की उप–धारा (2) में जोड़ा जायेगा :–

"परन्तु और कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे ।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राजेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

9 सितंबर 2003

संख्या–एल० बी०–1–08/2003 लेज 188 बिहार विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राज्यपाल द्वारा 5 सितंबर 2003 को अनुमत बिहार पदों एवं सेवाओं, की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) (संशोधन) अधिनियम, 2003 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(राजेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 फाल्गुन 1940 (श0)

(सं0 पटना 284) पटना, मंगलवार, 26 फरवरी 2019

सामान्य, प्रशासन विभाग

अधिसूचनाएं
26 फरवरी 2019

सं0 11/आ0नी0–I–03/2019–2622—"बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2019" की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करने एवं उक्त अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**– (1) यह नियमावली "बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों मे नामांकन में (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली 2019" कही जा सकेगी।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।** – **इस अधिनियम में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो** –

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है किसी स्थापना में सेवाओं और पदों के संबंध में नियुक्ति करने हेतु सशक्त प्राधिकारी/कोई व्यक्ति जो शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु उत्तरदायी हो;

(ख) **"विहित"** से अभिप्रेत है, अधिनियम के अधीन बनायी गई नियमावली द्वारा विहित और राजपत्र में प्रकाशित;

(ग) **"स्थापना"** से अभिप्रेत है, राज्य के कार्यकलाप से जुड़े लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों से संबंधित राज्य का कोई कार्यालय या विभाग और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य अधिनियम के अधीन गठित कोई स्थानीय या वैधानिक प्राधिकार;

(2) बिहार सहकारी समिति अधिनियम, 1935 (बिहार अधिनियम–6, 1935) के अधीन निबंधित कोई सहकारी संस्थान जिसमें राज्य सरकार द्वारा शेयर धारित किया गया हो अथवा जो राज्य सरकार से ऋण, अनुदान तथा साहायियकी आदि के रूप में सहायता प्राप्त करता हो; और

(3) विश्वविद्यालय तथा इनसे संबद्ध कॉलेज, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च विद्यालय तथा ऐसे अन्य शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वाधिकृत कर लिया हो या सहायता प्रदान करती हो, और

(4) सार्वजनिक क्षेत्र का कोई प्रतिष्ठान;

(घ) **"सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना"** से अभिप्रेत है कोई उद्योग, वाणिज्य व्यापार या पेशा जो निम्न द्वारा स्वाधिकृत/नियंत्रित या प्रबंधित हो :–

(1) राज्य सरकार या राज्य सरकार का कोई विभाग,

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम–1, 1956) की धारा 617, में यथा परिभाषित सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम, जिसमें राज्य सरकार द्वारा समादत शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून शेयर पूंजी लगायी गई हो;

(ङ) **"आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग"** से अभिप्रेत है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेन्डम–F.No. 36039/1/2019-Estt. (Res.) दिनाक 19.01.2019 में यथा परिभाषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोई व्यक्ति; तथा जो भविष्य मे समय–समय पर यथा संशोधित किया जाय ;

(च) **"भर्त्ती वर्ष"** से अभिप्रेत है पंचाग वर्ष जिसमें वस्तुतः भर्त्ती/नामांकन की जानी हो;

(छ) **"आरक्षण"** से अभिप्रेत है बिहार राज्य में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण;

(ज) **"गुणागुण सूची"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार तथा नियुक्ति करने के लिए या शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के लिए लागू आदेशों के अनुसार गुणागुण क्रम से तैयार की गई व्यवस्थित उम्मीदवारों की सूची;

(झ) **"राज्य"** में सम्मिलित हैं बिहार राज्य की सरकार, विधानमंडल और न्यायपालिका एवं राज्य के भीतर अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकार एवं सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान;

(ञ) **"परिवार"** में सम्मिलित है अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता हो, अभ्यर्थी के माता–पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई–बहन तथा पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतानें;

(ट) **"परिशिष्ट"** से अभिप्रेत हैं इस नियमावली के साथ संलग्न परिशिष्ट;

3. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सीधी भर्त्ती एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण के लाभ प्राप्त करने हेतु मानदंड।**– (1) ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किये गए आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नही हैं, की पहचान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में आरक्षण के लाभ के लिए की जायेगी, जिनके परिवार की सभी श्रोतों से कुल वार्षिक आय 8 (आठ) लाख रूपये से कम हो। वार्षिक आय आवेदन करने के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के वेतन, कृषि, व्यापार एवं पेशा आदि से होने वाली समस्त श्रोतों से प्राप्त आयों को सम्मिलित किया जाएगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी को, जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से किसी एक प्रकार की परिसम्पत्ति होगी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा, उसके परिवार की वार्षिक आय चाहे जो भी हो :–

(i) 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर;

(ii) एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट;

(iii) अधिसूचित नगरपालिका के अधीन 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड;

(iv) अधिसूचित नगरपालिका से इतर क्षेत्रों में 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

(3) किसी "परिवार" द्वारा धारित की गई एक अथवा एक से अधिक स्थानों/शहरों में अवस्थित समस्त परिसंपत्तियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को अवधारण करने हेतु एक साथ जोड़ा जायेगा।

(4) इस प्रयोजनार्थ पद "परिवार" में वह व्यक्ति सम्मिलित हैं जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता–पिता तथा 18 वर्ष से कम आयु के भाई/बहन और उसके पति/पत्नी एवं 18 वर्ष से कम आयु की संतान;

4. **प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया।**– नियम–3(2) की शर्त्तो के अधीन अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के एवं विहित परिसम्पतियां धारित नहीं करने का प्रमाण–पत्र संबंधित जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में निर्गत किया जायेगा। संबंधित पदाधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाण–पत्र निर्गत करने से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी से एक शपथ–पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थी के द्वारा यह घोषणा की जायेगी कि उसके

परिवार के पास संबंधित अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पति नहीं है अथवा कई स्थानों पर स्थित परिसम्पतियों को जोड़ने के पश्चात् भी वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आते हैं। घोषणा प्रपत्र अनुसूची--II (प्रपत्र–II) के रूप में संलग्न है।

5. **वैधता।**– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं परिसम्पति संबधी प्रमाण--पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा।

6. **सत्यापन।**-- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अधीन नियुक्तियां/नामांकन औपबंधिक एवं अभ्यर्थी द्वारा आय एवं परिसम्पति संबंधित प्रमाण–पत्र के सत्यापन के अध्यधीन होंगे। सत्यापन के क्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जाली/गलत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया पाये जाने पर सेवा/नामांकन, बिना अग्रेतर कार्रवाई के, समाप्त कर दिया जायेगा तथा भारतीय दण्ड संहिता के संगत प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी।

7. **विनिमय।**– यदि किसी भर्त्ती वर्ष में या किसी सत्र के नामांकन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन आरक्षित कोटि से भरे जाने वाले उम्मीदवार अधिनियम के अधीन विहित आरक्षण प्रतिशत तक उपलब्ध न हों तो बची हुई रिक्तियां/सीटें अग्रणित नहीं की जायेंगी। ऐसी रिक्तियाँ/सीटें उसी समव्यवहार/नामांकन वर्ष में खुली गुणागुण कोटि के उम्मीदवार से भर दी जायेंगी।

8. **रोस्टर।**– आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अधीन आरक्षण उपलब्ध करने से संबंधित अनुसूची–III में दिया गया 100 (सौ) बिन्दुओं का आदर्श मॉडल रोस्टर अपनाया जायेगा।

9. **कठिनाईयों का निराकरण।**– यदि इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो, राज्य सरकार, ऐसा कदम उठा सकेगी या ऐसा आदेश निर्गत कर सकेगी, जो इस निमयमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, और जिसे वह कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक समझे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अनुसूची–I
(प्रपत्र–I)

बिहार सरकार
कार्यालय का नाम.......................................

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या–......................... दिनांक–.........................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पति ....गाँव/शहर .... पोस्ट ऑफिस .... थाना .... अनुमंडल ....जिला .... राज्य .... पिन कोड .... के स्थायी निवासी हैं, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... मे इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पति नहीं है :–

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।

II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।

III. अधिसूचित नगरपालिका के अन्तर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ....जाति .... के सदस्य है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के रूप में अधिसूचित नहीं है।

हस्ताक्षर ....

पदनाम ....

(कार्यालय का मुहर सहित)

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

अनुसूची–II
(प्रपत्र–II)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वंय घोषणा पत्र
स्वंय घोषणा पत्र

मैं...पुत्र/पुत्री/पति.. गॉव/शहर.. पोस्ट ऑफिस............................. थाना.................... प्रखण्ड.................... अनुमण्डल................ जिला..................... राज्य................. ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवदेन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :–

1. मैं.. जाति से संबंध रखता/रखती हूँ जो बिहार हेतु अधिसूचित पिछड़ा वर्ग, अत्यत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।

2. मेरे परिवार की कुल स्त्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय,पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रू.......... .... (शब्दों में) है।

3. मेरे परिवार के पास .... अंचल के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) .... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता हूँ।

4. मै घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसंपत्तियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित मे से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है–

i. 5 (पॉंच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे उपर।
ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट।
iii. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।
iv. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोटः– जो लागू नही हो उसे काट दें।

स्थान :– **आवदेक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम।**

दिनांक :–

अनुसूची–III

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण के आलोक में 100 बिन्दुओं का मॉडल रोस्टर :–

1. अनारक्षित
2. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
3. अनारक्षित **(महिला)**
4. अनुसूचित जाति
5. अनारक्षित
6. पिछड़ा वर्ग
7. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
8. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
9. अनारक्षित **(महिला)**
10. अनुसूचित जाति **(महिला)**
11. अनारक्षित
12. पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
13. अनारक्षित
14. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
15. अनारक्षित **(महिला)**
16. अनुसूचित जाति
17. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
18. पिछड़े वर्गों की महिला
19. अनुसूचित जनजाति
20. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
21. अनारक्षित **(महिला)**
22. पिछड़ा वर्ग
23. अनारक्षित
24. अनुसूचित जाति **(महिला)**
25. अनारक्षित
26. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
27. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(महिला)**
28. अनुसूचित जाति
29. अनारक्षित
30. पिछड़ा वर्ग
31. अनारक्षित
32. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
33. अनारक्षित **(महिला)**
34. अनुसूचित जाति
35. अनारक्षित
36. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
37. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
38. पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
39. अनारक्षित **(महिला)**
40. अनुसूचित जाति **(महिला)**
41. अनारक्षित
42. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
43. अनारक्षित
44. अनारक्षित
45. अनारक्षित **(महिला)**
46. पिछड़ा वर्ग
47. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
48. अनुसूचित जाति
49. अनारक्षित **(महिला)**
50. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
51. अनारक्षित
52. पिछड़े वर्गों की महिला
53. अनारक्षित
54. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
55. अनारक्षित **(महिला)**
56. अनुसूचित जाति
57. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
58. पिछड़ा वर्ग
59. अनारक्षित
60. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
61. अनारक्षित **(महिला)**
62. अनुसूचित जाति **(महिला)**
63. अनारक्षित
64. पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
65. अनारक्षित
66. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
67. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(महिला)**
68. अनुसूचित जाति
69. अनारक्षित
70. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
71. अनारक्षित
72. पिछड़ा वर्ग
73. अनारक्षित **(महिला)**
74. अनुसूचित जाति
75. अनारक्षित
76. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
77. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
78. अनुसूचित जाति **(महिला)**
79. अनारक्षित **(महिला)**
80. पिछड़ा वर्ग
81. अनारक्षित
82. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
83. अनारक्षित
84. पिछड़े वर्गों की महिला
85. अनारक्षित **(महिला)**
86. अनुसूचित जाति
87. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
88. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग
89. अनारक्षित
90. पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
91. अनारक्षित **(महिला)**
92. अनुसूचित जाति
93. अनारक्षित
94. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**
95. अनारक्षित
96. पिछड़ा वर्ग
97. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(महिला)**
98. अनुसूचित जाति **(महिला)**
99. अनारक्षित
100. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग **(महिला)**